क्रम संख्या—13 (क) पंजीकरण संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018—2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 17 जनवरी, 2018 ई0

पौष 27, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 67/XXXVI(3)/2018/22(1)/2017

देहरादून, 17 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017'** पर दिनांक 12 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 11 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व—साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2018)

{भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 11 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 11 की उपधारा (2) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात– "उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात– (क) राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय का सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश, (ख) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद्, (ग) कुलाधिपति का एक नामिति, (घ) कार्यपरिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य, (ड़) सदस्य सचिव के रुप में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आयुष शिक्षा; राज्य सरकार समिति के सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। समिति वर्णाक्षर क्रम में, शैक्षणिक और प्रशासनिक विशिष्टतायें दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ प्रशासनिक अनुभव वाले,

		कुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त तीन से पॉच ऐसे प्रख्यात आयुष शिक्षाविदों अथवा उच्च स्तर से सेवानिवृत्त अधिकारियों की नामिका (पैनल) राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा संस्तुति करते समय पैनल में संस्तुत व्यक्तियों की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। राज्य सरकार द्वारा संस्तुति कुलाधिपति को प्रेषित की जायेगी।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,

प्रमुख सचिव।

No. 67/XXXVI(3)/2018/22(1)/2017

Dated Dehradun, January 17, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Ayurved University (Amendment) Bill, 2017'** (Adhiniyam Sankhya 11 of 2018).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 12 January, 2018.

The Uttarakhand Ayurved University (Amendment) Act, 2017

(Uttarakhand Act No. 11 of 2018)

{Enacted by the Legislative Assembly of the Uttarakhand in the Sixty-eighth Year of the Republic Of India}

AN

ACT

further to amend the Uttarakhand Ayurved University Act, 2009

Short title and commencement	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand Ayurved University (Amendment) Act, 2017
Amendment of section 11	2.	Rule (2) of section 11 of the Uttarakhand Ayurved University Act, 2009 Shall be substituted as follows, namely- The committee specified in sub section (1) shall have following members , namely- (A) A serving/retired Judge of State High Court nominated by Chief Justice, (B) A renowned educationist nominated by the State Government, (C) A members nominated by the Chancellor, (D) A nominated member by the Executive Council, (E) Additional Chief Secretary/Principle Secretary/ Secretary, AYUSH Education as a member secretary; The State Government shall appoint one of the members of committee as a Chairperson of the committee. The Committee shall forward a panel of three to five such renowned Ayush educationists or retired officers from higher level Suitable to hold the post of vice Chancellor, showing their educational and specific administrative experience in the alphabetical order to the State Government. At the time of recommendation by the Committee, the maximum age of recommended person in the panel Shall be 65 years. The recommendation by the State Government Shall be forwarded to the Chancellor.

By Order,

ALOK KUMAR VERMA,
Principal Secretary.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

उत्तराखण्ड राज्य के लिये वर्ष 2009 में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 अधिनियम किया गया था। अधिनियम के क्रियान्वयन में व्यवहारिक रूप से कतिपय कठिनाईयां प्रतीत हो रही हैं।

2— कुलपति की नियुक्ति के लिये गठित की जाने वाली समिति प्रचलित व्यवस्था के अनुसार किया जाना आवश्यक है। अतः अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) में संशोधन प्रस्तावित है।

3— प्रस्तावित विधेयक उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 उपरोक्त उद्देश्य कर पूर्ति करता है।

हरक सिंह रावत
मंत्री

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 विधायी / 73—2018—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।